(126)

PBR/ पुनर्स्थापन / उज्जैन / भू.रा / 2017 / 2813

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर, बोर्ड कैम्प उज्जैन

(126)

प्र.क्र. सायराबाई आदि — आवेदकगण

विरूद्ध

शंकरलाल —— अनावेदक

प्रकरण को पुनः पटल पर लिया जाकर सुनवाई किये जाने बाबत

माननीय महोदय,

प्रार्थी आवेदक की ओर से निम्नलिखित आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत है :—

1. यह कि, प्रार्थी आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. के तहत सीमांकन आदेश कलेक्टर भू—अभिलेख के विरूद्ध प्रस्तुत किया है।

2. यह कि, आज दिनांक को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी आवेदक की उपरोक्त निगरानी आवेदन पत्र प्रारंभिक सुनवाई हेतु नियत थी जिसमें प्रार्थी आवेदक की ओर से प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये जाने थे किंतु प्रार्थी आवेदक के अभिभाषक नवीन न्यायालयीन भवन में अन्य न्यायालयीन कार्य में व्यस्त होने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में प्रारंभिक तर्क प्रस्तुत नहीं कर सके, जिस कारण माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण को अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया।

3. यह कि, उपरोक्त प्रकरण में आवेदकगण की कोई त्रुटि नहीं है प्रार्थी आवेदक अपने अभिभाषक पर उक्त प्रकरण के लिये पूर्ण रूप से निर्भर होकर ग्राम लखेसरा तहसील महिदपुर जिला उज्जैन में निवास करता है ऐसी स्थिति में उसका माननीय न्यायालय में उपस्थित न हो पाना सदभाविक है।

4. यह कि, प्रार्थी आवेदक की उपरोक्त त्रुटि सदभावनापूर्ण होकर क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थी आवेदक द्वारा आज दिनांक को ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रकरण को पुनः पटल पर लिया जाकर सुनवाई किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि स्वीकार किये जाने की कृपा करें।

अतः आवेदन पत्र स्वीकार करने की कृपा करें।

इति दिनांक — 17—8—2017 प्रार्थी

सायराबाई आदि — आवेदकगण

द्वारा अभिभाषक

22-12-17

आवेदक अधिवक्ता श्री अमित उपाध्याय उपस्थित। उन्हें रेस्टोरेशन पर सुना गया। रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण क्र. R-312-PBR/17 पुन नम्बर पर लिया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।

अध्यक्ष

22/12/17

शा.क्षे.मुद्रा—181—फॉर्म—29-8-16-30,000 प्रपत्र.